

-: कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल-तिजारा :-

क्रमांक :- 16

दिनांक :- 13-6-26

कार्यालय-आदेश

मैं सीमा कुमारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह **जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2026** में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य, प्रोटोकॉल हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10 ए.एम से 12 ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ :-

माह जुलाई-2026

क्रम. संख्या	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	05.07.2026	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा	7976762565
2.	11.07.2026	Mrs. Tamana Kaushik	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा	8755834111
3.	12.07.2026	Mrs. Tamana Kaushik	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा	8755834111
4.	19.07.2026	Smt. Surbhi Singh	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा	9414782822
5.	25.07.2026	Mr. Rajat Gupta	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9737824150
6.	26.07.2026	Mr. Amar Singh Khardia	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा	9460287600

माह अगस्त-2026

कम. संख्या	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	02.08.2026	Smt. Surbhi Singh	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा	9414782822
2.	08.08.2026	Smt. Srishti Jain	ग्राम न्यायालय, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9911417987
3.	09.08.2026	Smt. Srishti Jain	ग्राम न्यायालय, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9911417987
4.	15.08.2026	Mr. Rajat Gupta	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9737824150
5.	16.08.2026	Mrs. Manisha Agarwal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	8980520737
6.	22.08.2026	Mrs. Kiran Rathee	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा	9988444499
7.	23.08.2026	Mrs. Kiran Rathee	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा	9988444499
8.	26.08.2026	Mr. Amar Singh Khardia	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा	9460287600
9.	28.08.2026	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा	7976762565
10.	30.08.2026	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा	7976762565

माह सितम्बर-2026

क्रम. संख्या	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	04.09.2026	Ms. Khushbu Kanwariya	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा	9521833002
2.	06.09.2026	Ms. Khushbu Kanwariya	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा	9521833002
3.	12.09.2026	Ms Aishwarya S Agarwal	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9425306423
4.	13.09.2026	Ms Aishwarya S Agarwal	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9425306423
5.	15.09.202	Mrs. Manisha Agarwal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	8980520737
6.	20.09.2026	Ms Meghna Meena	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9340212944
7.	21.09.2026	Ms Meghna Meena	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा, जिला खैरथल-तिजारा	9340212944
8.	26.09.2026	Mrs. Preeti Singh	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा	7791978815
9.	27.09.2026	Mrs. Preeti Singh	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा	7791978815

नोट :-

- उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु

विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3. अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।
4. नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
5. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।
6. यदि किसी कारणवश रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्यदिवस को अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त अवकाश की दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।
7. यदि किसी रिमाण्ड ड्यूटी वाले दिवस पर संबंधित पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं तो उक्त दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।
8. पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा भेजा गया मुख्यालय परित्याग का प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावे तथा यदि पूर्व में उक्त पीठासीन अधिकारी का कोई मुख्यालय परित्याग का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया गया है तो भी इस परिस्थिति में उक्त स्वीकृत प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त समझा जावे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैथल
जिला खैथल तिजारा

कमांक :- 1074-1079

दिनांक :- 13/6/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, खैरथल तिजारा
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, भिवाडी / खैरथल-तिजारा
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, खैरथल / भिवाडी / ए डी पी ऑफिस, खैरथल
5. कार्यालय प्रति / एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा, खैरथल (समस्त थानाधिकारी / पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करें)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय खैरथल-तिजारा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल
जिला खैरथल तिजारा